

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अयोध्या

पत्रांक-मेमो/सी0एफ0ओ0-2020
सेवा में,

दिनांक-11/5/20

स्वामी/प्रबन्धक
यश विद्या मन्दिर
दर्शननगर अयोध्या।


विषय-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर प्रोटेक्शन सिस्टम/फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थापना/कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ-आवेदक/आप का पत्रांक निल दिनांक 11.05.2020


कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके प्रार्थना-पत्र के क्रम में आपके प्रतिष्ठान में उपलब्ध 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ दिनांक 27.12.1982 में दिए गये निर्देशों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुख्य शाखा फैजाबाद में चालान सं० जेईबी-00012 दिनांक 11.05.2020 के अनुसार रू० 100 जमा किया गया है। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील	अकार्यशील
1.	एबीसी टाइप एक्सटिंग्यूशर	5 किग्रा	06	कार्यशील	-
2.	डीसीपी टाइप एक्सटिंग्यूशर	5 किग्रा	03	कार्यशील	-
3.	सीओटू टाइप एक्सटिंग्यूशर	4.5 किग्रा	01	कार्यशील	-


इस प्रकार आपके सरथान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता दिनांक 10.05.2021 तक प्रमाणित/नवीनीकरण की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार वांछनीय होंगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। पालन न किए जाने की दशा में निर्गत कार्यशीलता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(राजकिशोर राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अयोध्या


Principal
Yash Vidya Mandir
Darshan Nagar-Ayodhya

For Jingle Bell Nursery School Society


(Manjula Jhumjhumwala)
Director